

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

क्रमांक /टीसी/40/उपां/नग्रानि/गुना/2018 भोपाल,
प्रति,

दिनांक:- /12/2018

1. कलेक्टर,
जिला गुना (म.प्र.)।
2. उप संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, गुना (म.प्र.)।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
जिला गुना (म.प्र.)।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, गुना
जिला गुना (म.प्र.)।

विषय:- गुना विकास योजना 2031 में उपांतरण बाबत (ग्राम-जगनपुर, प्रधानमंत्री आवास योजना)।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा गुना विकास योजना 2031 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

(गुलशन बामरा)

आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल

दिनांक:- /12/2018

पृ. क्रमांक 7378 /टीसी/ 40/उपां/नग्रानि/गुना/2018 भोपाल,

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर पत्र क्रमांक 2095 दिनांक 23/08/2018 के तारतम्य में कृपया सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

(गुलशन बामरा)

आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

सूचना

भोपाल, दिनांक 18/12/2018

क्रमांक 7377 / 40/उपां/टीसी/ गुना/ 2018 - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट गुना विकास योजना 2031 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम	सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	जगनपुर	33 मिन	0.54	प्रस्तावित मार्ग (24 मीटर) चौड़ा	प्रस्तावित आवासीय
		45 मिन	0.61	प्रस्तावित मार्ग (24 मीटर) चौड़ा	प्रस्तावित आवासीय
		66 मिन	0.52	प्रस्तावित मार्ग (24 मीटर) चौड़ा	प्रस्तावित आवासीय
		33 मिन	0.63	प्रस्तावित आवासीय	प्रस्तावित मार्ग (24 मीटर) चौड़ा
		45 मिन	0.58	प्रस्तावित आवासीय	प्रस्तावित मार्ग (24 मीटर) चौड़ा
		66 मिन	0.46	प्रस्तावित आवासीय	प्रस्तावित मार्ग (24 मीटर) चौड़ा
		33 मिन	0.044	प्रस्तावित मार्ग (18 मीटर) चौड़ा	प्रस्तावित आवासीय
		45 मिन	0.53	प्रस्तावित मार्ग (18 मीटर) चौड़ा	प्रस्तावित आवासीय
		44 मिन	0.148	प्रस्तावित मार्ग (18 मीटर) चौड़ा	प्रस्तावित आवासीय
		45 मिन	0.42	प्रस्तावित आवासीय	प्रस्तावित मार्ग (18 मीटर) चौड़ा
		47 मिन	0.29	प्रस्तावित आवासीय	प्रस्तावित मार्ग (18 मीटर) चौड़ा
		45 मिन	0.054	प्रस्तावित आमोद प्रमोद के अंतर्गत उद्यान	प्रस्तावित आवासीय
योग:-		4.826 हेक्टेयर			

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय गुना तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, गुना को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा।

(गुलशन बामरा)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल